संख्याः   /XXVII (1) /2008

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव (वित्त),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/
समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग--1   देहरादून : दिनांक 30 अप्रैल, 2008

विषयः-- वित्तीय वर्ष 2008--09 में वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्याः 267/XXVII (1) /2008, दिनांक 27 मार्च, 2008 एवं 326/XXVII (1) /2008, दिनाँक 23 अप्रैल, 2008 के क्रम में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सहायक अनुदान/ अंशदान / राज सहायता की मद वचनबद्ध मद की श्रेणी में नहीं आती है, अतः इससे सम्बन्धित व्यय की स्वीकृतियाँ वित्त विभाग की सहमति से ही निर्गत की जाएंगी तथा इस सम्बन्ध में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड--5 भाग--1 (लेखा नियम) के अध्याय 16--ए के नियम 369 की प्रक्रिया का अनुश्रवण करते हुए वित्त विभाग की स्वीकृति से वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत की जाएगी।

भवदीय,

/

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्याः 346/XXVII (1) /2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1--महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2--समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3--निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य एकक, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4--समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5--सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त) 28/4/2008
अपर सचिव, वित्त

C:\go.doc